राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर
सुगनचन्द बनाम शान्ति देवी

तारीख हुक्म	333/2018 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/04/2026 को पेश हो ।	
/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा का आराजी खसरा नम्बर 1392 रकबा 1.58 है. बन्दोबस्त हाल स्थित ग्राम सरूण्ड तह. कोटपूतली जिला-जयपुर (राज.) के हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार अपीलान्टस के पडदादाजी स्व. श्री जयमल पुत्र श्री लेखूराम गुर्जर थे । जिनके एकमात्र पुत्र श्योराम हुये जो भी फौत हो चुके है। उक्त श्योराम के पुत्र रोहताश, प्रहलाद व प्रकाश हुये । अपीलान्टस रोहताश के पुत्र है उक्त श्योराम को वाद में प्रतिवादी सं. 2 बनाया गया है। उक्त संपति अपीलान्टस की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें अपीलान्टस का हिस्सा अपने पिता रोहताश के साथ बहैसियत कोपार्सनर 1/3 हिस्सा है। यानि अपीलान्टस और रोहताश प्रत्येक का 1/12 1/12 हिस्सा है । अपीलान्टस अपने हिस्से की 3/12 भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। मौके पर उनकी फसल खडी है किन्तु अपीलान्टस के दादा श्योराम की मृत्यु पर राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक अपीलान्टस का नाम न दर्ज कर अकेले रोहिताश के नाम हिस्सा 1/3 दर्ज कर दिया । वाद दायरी के करीब 1 सप्ताह पूर्व जब अपीलान्टस अपने खेत में काम कर रहे थे, उस समय रेस्पोडेन्ट सं. 1 शांतिदेवी अपीलान्टस के खेत पर आयी तथा कहा कि मैंने उक्त भूमि खरीद ली है । मैं तुम्हे तुम्हारे हिस्से से बेदखल कर आराजी को दीगर लोगों को बेचान करूंगी। इस पर अपीलान्टस तहसील परिसर कोटपूतली में आये [illegible] नकल जमाबन्दी प्राप्त की, तब उन्हें राजस्व कर्मचारियों द्वारा लापरवाही पूर्वक किये गये अवैध इन्द्राज एवं उक्त अवैध इन्द्राज की बिनाह पर अपीलान्टस के पिता द्वारा एक नुमाईशी विकय पत्र के जरिये शांतिदेवी को उक्त भूमि विक्रय करने की जानकारी हुई। उक्त विकय अपीलान्टस के अधिकारों के विरूद्ध शून्य व बेअसर है । अतः अपीलान्टस के पक्ष में घोषणात्मक डिकी जारी कर उन्हें उनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वाद में दर्जशुदा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा अपीलान्टस के कब्जें एवं काश्त में मजाहमत न करने हेतु हमेशा-हमेशा के लिये पाबन्द किया जावे । अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । जिस पर शांति देवी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा बाद सुनवाई पक्षकारान अधिनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सुमनचन्द बनाम शान्ति देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	333/2018	

न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट में अपीलान्टस का पैतृक सम्पत्ति में हित होना मानकर दर्ज करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. संख्या 1 शान्ति देवी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पर समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08/05/2018 पारित करते हुये रेस्पो. संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का बैचान होकर क्रेता का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो जाने के आधार पर उक्त बैचान को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये जाने तक वादी को दावा लाने का एवं प्रश्नाधीन वाद का चलने योग्य नही होना धारित कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से वादी के वाद को प्रार्थना पत्र आएश 07 नियम 11 स्वीकार कर ख़ारिज किया गया है जो क़ानूनी प्रावधानों के अनुरूप उचित प्रतीत नही होता है | कानूनन विधिक प्रावधान यह है कि किसी भी कृषि आराजी के सन्दर्भ में राजस्व न्यायालय से सर्वप्रथम घोषणा का बिन्दुतय होने के उपरान्त ही बैचान के निरस्तीकरण का निर्णय किया जाना होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन एवं उसके आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 08/05/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान से साक्ष्य सबूत प्राप्त कर तनकीयात कायम कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान तनकीवार साक्ष्य-सबूतों का विस्तृत विवेचन करते हुये गुणावगुण पर निर्णय पारित कर वाद का निस्तारण करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 07/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर